प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.11.2024

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो चाकू बरामद ।

दिनांक 15/16.11.2024 की रात्रि को वादी श्री अक्षय पुत्र श्री शिवकुमार नि0 ग्राम सरना थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा थाना पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त सुफियान व आमिर द्वारा पाइप लाइन रोड पर अग्रेजी शराब के ठेके के पास वादी से पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर चाकू से प्रहार करना जिससे वादी के बाये हाथ मे काफी चोट आयी जब वादी ने शोर मचाया तो उक्त दोनो वादी के साथ गाली गलोच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गये । उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 16.11.2024 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1. सूफीयान उर्फ सूफी पुत्र शरीफ निवासी मीट मार्केट, मौहल्ला व्यापारियान, कस्बा व थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष 2. आमिर पुत्र आशु उर्फ आस मौहम्मद निवासी खिजरा मस्जिद के पास क्षित्राबस्ती, जलालपुर रोड, थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को रेलवे स्टेशन मुरादनगर के सामने से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि साहब अक्षय को हम पहले से जानते थे। कुछ दिन पहले हमारी अंग्रेजी शराब के ठेके, पाईप लाईन रोड पर अक्षय से लडाई हो गयी थी, जिसका बदला लेने के लिए हम दोनो उसे ठेके के आस पास ढूढ रहे थे। दिनांक 15.11.2024 को हमे अक्षय अंग्रेजी शराब के ठेके के पास मिल गया, हम दोनो ने अक्षय को जान से मारने की नियत से चाकू से प्रहार कर दिया परन्तु अक्षय का हाथ सामने आ गया और सूफीयान के चाकू के प्रहार से उसके हाथ मे चाकू लग गया व आमिर के चाकू के प्रहार से अक्षय बाल-बाल बच गया। जो आपको हमसे चाकू मिले ये वही चाकू हैं जिनसे हमने अक्षय के ऊपर प्रहार किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. सूफीयान उर्फ सूफी पुत्र शरीफ निवासी मीट मार्केट, मौहल्ला व्यापारियान, कस्बा व थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
2. आमिर पुत्र आशु उर्फ आस मौहम्मद निवासी खिजरा मस्जिद के पास क्षित्राबस्ती, जलालपुर रोड, थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त दो चाकू बरामद।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त सूफीयान उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर गाजियाबाद पर लूट, चोरी, गैंगस्टर आदि के करीब 10 अभियोग पंजीकृत है व अभियुक्त सूफीयान की थाना मुरादनगर पर एचएस सख्या 233/ए प्रचलित है। अभियुक्त आमिर उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .32 बोर व 02 खोखा कारतूस बरामद ।

दिनांक 16.11.2024 को वादी श्री शोएब पुत्र शाबुद्दीन नि0 म0न0 212 नवाब काम्पलैक्स अहमद रोड थाना देहली गेट मेरठ द्वारा थाना पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त भूरा पुत्र शमशुद्दीन नि0 गुलशन कालोनी थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष आदि 04 व्यक्तियों द्वारा वादी को उसकी पत्नी से तलाक दिलाने के बहाने कमरे मे बुलाकर लाठी, डण्डो व पाईप से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना और अभि0 भूरा ने वादी को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए तमंचे से दरवाजे में 02 फायर कर 112 पर पुलिस को फोन कर दिया और फरार हो गया। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 16/17.11.2024 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त भूरा पुत्र शमशुद्दीन नि0 गुलशन कालोनी थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को गुड मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .32 बोर व 02 खोखा कारतूस बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मेरी बहन की शादी फरवरी 2024 में शोएब पुत्र शाबुद्दीन से हुई थी। शादी के बाद से ही वह मेरी बहन को परेशान करने लगा था तथा मारता-पीटता था जिसकी वजह से मेरी बहन दुखी रहती थी इसी कारण से हमने शोएब को अपने घर बुलाया और अपने भाइयों के साथ मिलकर मारपीट की तथा मैंने दिनांक 16/11/2024 की रात्रि में शोएब को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिये अपने दरवाजे में उस समय फायर किये थे। मैं इस तमंचा व खोखा कारतूस को पकडे जाने के डर से कही छिपाने के लिये जा रहा था कि आपने मुझे इनके साथ पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

भूरा पुत्र शमशुद्दीन नि0 गुलशन कालोनी थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .32 बोर व 02 खोखा कारतूस बरामद।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर बीएनएस/आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम